

२४/५ २५ पशावली पेशी में ली गई, उभयपक्ष का  
सुनाया। बाद पश्च मुनाबिक सपीनामा  
डिडी किया जाता है, विस्तृत विषय  
अलग से लिखवाया जाकर कुले  
इजाजत सुनाया गया। पचा डिडी  
जारी है। पशावली नेबल से कम  
की जाकर काबिल कफल की  
जानी है।

सहायक कलेक्टर  
एच उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

